

08.03.2018

पीठसीन अधिकारी के ट्रेनिंग पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

आवेदक रवि सिंह गुर्जर की ओर से श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघैल अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 26/18 उनवान राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद बनाम रवि गुर्जर एवं अन्य का मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक के पिता भारत सिंह का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन है और इस आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो विचाराधीन है और न ही निराकृत हुआ है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि विरोधियों के षडयंत्र के आधार पर पुलिस थाना गोहद के द्वारा झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आवेदक दो माह से निरोध में है अधिक दिनों तक निरोध में रहने से उसके परिवार के समक्ष भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन की ओर से आवेदन का घोर विरोध करते हुए आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 14.12.17 को फरियादी गुड्डु उर्फ कमल किशोर के मकान स्थित वार्ड क्रमांक 02 से रात्रि में एक जोड़ी झुमकी, एक अंगूठी मर्दानी तथा 15 हजार रुपए की चोरी हो गयी थी जिसकी रिपोर्ट थाना गोहद में दर्ज करायी थी।

दौराने अनुशंधान यह तथ्य सामने आये कि उक्त चोरी आवेदक रवि गुर्जर, बल्लो उर्फ बलवीर, भारत सिंह, सुभाष उर्फ रट्टी एवं जीतू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर के द्वारा की गयी थी। बल्लो उर्फ बलवीर के आधिपत्य से एक पांच सौ का नोट, अभियुक्त रवि सिंह गुर्जर के आधिपत्य से एक जोड़ी झुमकी, सुभाष उर्फ रट्टी से एक जोड़ी पायल जितेन्द्र उर्फ जीतू से पांच सौ के दो नोट अर्थात एक हजार रुपए जप्त किये गये हैं।

इस न्यायालय के समक्ष रवि सिंह गुर्जर के संबंध में अन्य दो जमानत आवेदन भी प्रस्तुत हुए हैं जो मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 25/18 एवं 27/18 हैं जिससे कि स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के अन्य प्रकरण

भी हैं जिसमें सोने के जेवरात एवं नकद राशि की चोरी की गयी है। अतः मामले की इन परिस्थितियों, तथ्यों, आवेदक के कृत्य और आवेदक का आपराधिक इतिहास देखते हुए उसे जमानत आवेदन का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे। नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं जमानत प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)